

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव
रत्नर पटेश शासन।

संग्रह

- 1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
 - 2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
 - 3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग - 3

लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिकियों के सापेक्ष हुआ हों, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेशन योजना (राष्ट्रीय पेशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महाद्य

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के तियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समर्कित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अर्थवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

21.

- यह राशनलटार्श इन्स्टीटिउटकी जारी किया गया है जल इस पर सत्वाकर्ता की आवश्यकता नहीं है।
- इस राशनलटार्श की प्रमाणिकता द्वारा माइट्रोप्रोटोकॉल्ड एन्ड एन्ट्रोप्रोटोकॉल्ड से सत्यापित की जा सकती है।

2.

2. ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3. केन्द्र सरकार के कार्यालय जाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था को पुरानी पेशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4. इस संबंध में न्यायालयों के तिर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय जाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संटभों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह तिर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्थायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेशन योजना की भाँति पेशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है “उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बैनिफिट्स रूल्स, 1961” के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3.

1. यह शासनाटक इन्वेन्टरी जारी किया गया है अत इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनाटक की प्रमाणिकता द्वय साइट <http://prashikshan.nic.in/paper.aspx> से सन्यापित की जा सकती है।

-3-

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राप्तिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4). राष्ट्रीय पेशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5). राष्ट्रीय पेशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे राष्ट्रीय पेशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेशन निधि में जमा धनराशियों के अतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

भवदीय,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

4/-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जरूरी किया गया है भले ही इस पर स्वतंत्रता की अवधिकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता द्वारा साइट <http://www.prsindia.org> पर उपलब्ध है।

-4-

संख्या-सा-3-243(1)/टस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: तिम्तलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1). महातेजाकार (लेखा एवं हक्कदारी) पर्याम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2). निदेशक, पैशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

बील रतन कुमार

विशेष सचिव।

1. यह शासनाट्टय इन्वेन्टरी जरूरी विषय नाम है। इस पर इस्तेव्वत की आवश्यकता नहीं है।
 2. इस शासनाट्टय की प्रमाणिकाल एवं संग्रह <http://www.mca.gov.in/epublications/epublications/EP/0001.htm> से सत्यापित की जा सकती है।